"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 फ़रवरी 2002—फाल्गुन 8, शक 1923

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 431/आपर्या/2001.—राज्य सरकार की राय में रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का अस्तित्व में बना रहना आवश्यक है.

अतएव, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 76 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, घोषित करती है कि रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का इस अधिसूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से विघटन किया जाता है.

विघटित रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर की समस्त आस्तियां तथा दायित्व, विघटन की तारीख से, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 76 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट रीति में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के उपबंधों के अधीन गठित नगर पालिक निगम, रायपुर में निहित हो जाएंगे.

Raipur, the 25th February 2002

NOTIFICATION

No. 431/HE/2001.—WHEREAS, in the opinion the State Government the continued existence of Development Authority, Raipur is unnecessary ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 76 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) the State Government hereby declare that the Development Authority, Raipur is dissolved with effect from the date of publication of this Notification in the "Chhattisgarh Gazette".

All assets and liabilities of the dissolved Development Authority, Raipur shall stand vested in Nagar Palik Nigam, Raipur constituted under the provisions of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) from the date of dissolution in the manner as referred to in sub-section (2) of Section 76 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.